8/7/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार घाटोल से जवाब प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी के प्रार्थना स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विचार किया। पत्रावली अवलोकन किये जाने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जिससे पृथक से दर्ज किया जाकर शामिल पत्रावली पत्रावली फैसला शुमार कायम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.07.24 17:47:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner